

२१/२५

वकील वादीगण उपस्थित नहीं। वादीगण स्वयं भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति बावजूद कोई कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-बार आवाज लगावाई गई। अतः यह वाद-पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। फावली निर्बंध में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो तथा तरीब तकमिल होकर कार्रवाई दफ्तर लौ।

Jayendul